राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सुजानगढ़ जिला चूरू (राज.)

राष्ट्रीय लोक अदालत स्थान सुजानगढ़ दिनांक 14.03.2026

राजस्व प्रार्थना–पत्र संख्याः 28 / 2025
जीसीएमएस संख्याः 2025 / 72
दायर दिनांकः 03.03.2025

1. कालु पुत्र गफूर जाति रंगरेज निवासी कस्बा सुजानगढ़ जिला चूरू

...............प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सुजानगढ जिला चूरू

................अप्रार्थी

प्रार्थना–पत्र धारा 136 एल आर एक्ट

उपस्थितः–

1. **श्री रमेश कुमार बिस्सु अधिवक्ता प्रार्थी।**
2. **अप्रार्थी राजपैरोकार तहसीलदार सुजानगढ़।**

निर्णय दिनांकः 14.03.2026

–:निर्णयः–

संक्षिप्त में प्रार्थना–पत्र के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि प्रार्थी कस्बा सुजानगढ़ जिला चूरू का स्थायी निवासी है जिसके रोही ग्राम भोजलाई तहसील सुजानगढ़ में खेत खाता संख्या 89 के खसरा संख्या 613 क्षेत्रफल 3.3129 है0, खाता संख्या 43 के खसरा संख्या 619 क्षेत्रफल 0.6954 है0, खसरा संख्या 772 / 611 क्षेत्रफल 2.2508 है0 व खसरा संख्या 774 / 618 क्षेत्रफल 0.8598 खातेदारी में दर्ज स्थित है। प्रार्थी का नाम जमाबन्दी खाता संख्या 89 में दीनमोहम्मद उर्फ कालू पुत्र गफुर एवं खाता संख्या 43 में कालू पुत्र करीमकब्स दर्ज है जबकि प्रार्थी का सही व वास्तविक नाम कालू पुत्र गफुर है। प्रार्थी के अन्य दस्तावेज यथा आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, भामाशाह कार्ड, परिवार का राशन कार्ड आदि में कालु पुत्र गफुर अंकित है।

प्रार्थी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में गलत होने के कारण प्रार्थी को सरकारी लाभांश आदि प्राप्त करने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है जिसके कारण प्रार्थी की खातेदारी भूमि में प्रार्थी का नाम दुरस्त करवाना प्रार्थी के लिए आवश्यक है।

प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी तहसीलदार सुजानगढ़ से प्रकरण में रिपोर्ट ली गई। जिस पर तहसीलदार सुजानगढ़ ने रिपोर्ट प्रस्तुत कर

निवेदन किया कि प्रार्थी का नाम खातेदारी कृषि भूमि में खाता संख्या 43 में कालू पुत्र करीमबक्श व खाता संख्या 89 में दीनमोहम्मद उर्फ कालू पुत्र गफुर अंकित है। जबकि संलग्न दस्तावेजों में प्रार्थी का सही व वास्तविक नाम कालू पुत्र गफूर अंकित है। दीन मोहम्मद एवं कालू दोनों एक ही व्यक्ति है। अतः प्रार्थी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में कालु पुत्र गफूर दर्ज किये जाने की अभिषंशा की जाती है।

पत्रावली तथा रिपोर्ट तहसीलदार सुजानगढ़ का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज आधार कार्ड, में प्रार्थी का नाम कालू पुत्र गफूर अंकित है तथा जन आधार कार्ड में भी प्रार्थी का नाम कालू अंकित है। अतः मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार सुजानगढ़ तथा संलग्न दस्तावेजात के अनुसार प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होने के कारण स्वीकार किया जाता है।

–:आदेश:–

प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र राष्ट्रीय लोक अदालत स्थान सुजानगढ़ में स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी तहसीलदार सुजानगढ़ को आदेशित किया जाता है कि प्रश्नगत भूमि रोही ग्राम भोजलाई तहसील सुजानगढ़ में खाता संख्या 89 के खसरा संख्या 613 क्षेत्रफल 3.3129 है0 में प्रार्थी का नाम दीनमोहम्मद उर्फ कालू पुत्र गफुर के स्थान पर कालू पुत्र गफूर तथा खाता संख्या 43 के खसरा संख्या 619 क्षेत्रफल 0.6954 है0, खसरा संख्या 772/611 क्षेत्रफल 2.2508 है0 व खसरा संख्या 774/618 क्षेत्रफल 0.8598 में दर्ज खातेदार कालू पुत्र करीमबक्श के स्थान पर कालू पुत्र गफूर दर्ज किया जावे। निर्णय की प्रति तहसीलदार सुजानगढ़ को पालनार्थ प्रेषित हो।

निर्णय आज दिनांक 14.03.2026 को टंकित करवाया जाकर राष्ट्रीय लोक अदालत स्थान सुजानगढ़ में सुनाया गया।

न्यायिक अधिकारी
राष्ट्रीय लोक अदालत
सुजानगढ़

पैनल अधिवक्ता (सदस्य)
राष्ट्रीय लोक अदालत
सुजानगढ

रेवन्यू अधिकारी (सदस्य)
राष्ट्रीय लोक अदालत
सुजानगढ़